THE MINISTER OF. STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICUL-TURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA). (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान की रिपोर्ट

756. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान के समीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया है अथवा लेने का विचार रखती है और कब तक ; और

(ख) क्या मात्स्यकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा मात्स्यकी विभाग को कृषि मंत्रालय से अलग करने संबंधी सिफारिश पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमन् । केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान के पंच-वर्षीय समीक्षा दल द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें जो 12 दिसम्बर 1983 को परिषद् को पेश की गई थीं वे ये थीं—संस्थान के मुख्यालयों और उसके क्षेत्रीय केन्द्रों में संरचना के विस्तार, वर्तमान डिप्लोमा और सर्टी-फिकेट पाठ्यक्रम के स्थान पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को लागू करना, प्रशिक्षार्थियों के लाभ के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना और पुन: *अभिविन्यास* करना, अनुसंधान पोतों के कारगर उपयोग के लिए सहायक संस्थानों के साथ सहयोगी कार्यक्रम चलाना, संस्थानों के प्रकाशन-गतिविधियों को सरल बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना और सी० आई० एफ० ई० में राष्ट्रीय मात्स्यकी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ मात्स्यकी शिक्षा की पूर्ण पद्धति को प्रयोग में लाना । पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों पर संस्थान ने कार्यवाही की है ।

(ख) सी० आई० एफ० ई० को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिये जाने से संबंधित प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । जहां तक कृषि मंत्रालय से मात्स्यकी विभाग को अलग करने का संबंध है, इस मामले की जांच की जा रही है ।

सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दलों के दौरे

757. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे और बाढ़ से कितने राज्य प्रभावित हुए हैं और इस संबंध में केन्द्रीय दलों ने इन राज्यों का दौरा कब किया और उन्होंने केन्द्रीय सरकार को क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं और ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गयी थी ; उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं और प्रभावित राज्यों को कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है और यह कब उपलब्ध करायी गयी ;

(ख) इन राज्यों ने कितनी-कितनी धनराशि की सहायता मांगी और उन्होंने यह सहायता कब मांगी और उनकी मांगों को किस प्रकार से पूरा किया गया ; और

(ग) इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 के दौरान सूखे और बाढ़ से प्रभावित राज्यों की संख्या, केन्द्रीय दलों के दौरों की तारीखें, मांगी गयी और

मंजूर की गयी सहायता की सूचना क्रमशः अनुबंध 1 और 2 में दी गयी है। (देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र संख्या 27 और 28)

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और उस पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर अनुबंध 1 और 2 में दर्शायी गयी व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गयी है।

(ग) चूंकि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गयी है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

सूखा और बाढ़ से प्रभावित जिले

758. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से जिले सूखाग्रस्त तथा बाढ़ग्रस्त हुए हैं;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति व मवेशी प्रभावित हुए हैं;

(ग) इससे कितना वित्तीय नुक्सान होने की संभावना है; और

(घ) ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने और ऐसी आपदाओं के दूरगामी तथा अन्य प्रभावों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) (क) 1987-88 में सूखे तथा बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों से संबंधित सूचना क्रमशः अनुबंध 1 और 2 में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र संख्या 29 और 30]

(ख) सूखे और बाढ़ की चपेट में आये व्यक्तियों तथा पशुओं की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) बाढ़ के कारण हुई वित्तीय हानि, अनुमानित और प्रभावित राज्यों द्वारा सूचित, कुल 1312.08 करोड़ रुपये बनती है। सूखे के कारण हुई वित्तीय हानि संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हुई स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये विभिन्न विशेष कदम उठाये हैं। इनमें से कुछेक उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सूखे से प्रभावित ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई में वृद्धि करना।

(2) जहां पर चारे की कमी महसूस की गई हो वहां पर चारे तथा चारे की ढुलाई की व्यवस्था करना।

(3) छोटे और सीमांत किसानों को बीजों की सप्लाई और कृषि आदानों के लिये राज सहायता की व्यवस्था करना।

(4) सब्जियों की सप्लाई और चारे की खेती में वृद्धि के लिये विशेष योजनाएं।

(5) कृषि क्षेत्र को बिजली की सप्लाई में प्राथमिकता।

(6) पीने तथा सिंचाई के प्रयोजन के लिये जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।

(7) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में छोटे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिये पूरक पोषण की व्यवस्था करना।

(8) सूखा से बचाव प्रदान करने के लिये चुनिन्दा सिंचाई परियोजनाओं को तेज करना।

(9) राहत कार्यों के लिये नियुक्त किए गए व्यक्तियों में वितरण के लिये राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन।

विवरण

1987 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनसंख्या तथा पंडित पशुओं की संख्या संबंधी ब्यौरे :

I. सूखा :

1. प्रभावित जनसंख्या : 2854.45 लाख

2 प्रभावित पशुओं की संख्या . . . 1636.84 लाख